रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/99 REGISTERED NO. DL-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15, 1999 (वैसाख 25, 1921)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 1999 (VAISAKHA 25, 1921)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	439
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	337
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .	625
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . .	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)।	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचना .	489
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	465
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	1611
भाग IV— गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	455
भाग V— अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	439
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	337
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	625
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative tests in Hindi Languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 2—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	489
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	465
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1511
PART IV—Advertisements and Notices issued by private Individuals and private Bodies	455
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल, 1999

सं0 64-प्रेज/99 -राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री मानिक गोस्वामी,
उप-निरीक्षक,
जोरहाट, डी॰ई॰एफ ।

श्री बोसिरुद्दीन,
कांस्टेबल,
16 आई॰आर॰ बटालियन ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24॰03॰98 को लगभग 9 बजे अपराह्न पुलिस अधीक्षक, जोरहाट को उल्फा उग्रवादियों की गुप्त गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई । उल्फा के कुछ लड़कों की 25॰03॰98 को संगठन संबंधी कार्य से के॰बी॰ रोड पर आने की संभावना थी । तद्नुसार योजना बनाने और ब्रीफिंग के पश्चात, असम पुलिस और सी॰आर॰पी॰एफ॰ की एक संयुक्त पार्टी को 0530 बजे के॰बी॰ रोड पर घात लगाकर बैठा दिया गया। 0700 बजे दो युवक संदिग्धावस्था पी॰डब्ल्यू॰डी॰ बारिआली से साईकिल पर आते दिखाई दिए । पुलिस पार्टी ने उन युवकों को रोकने की कोशिश की लेकिन वे युवक ललकारने पर, समीप की दिखाइशी इमारत में घुस गए और उसके पश्चात एक मुठभेड़ हुई। श्री मानिक गोस्वामी, उप-निरीक्षक और कांस्टेबल बोसिरुद्दीन अहमद ने उग्रवादियों का पीछा किया। सी॰आर॰पी॰एफ॰ टुकड़ी को घरों को घेरने के निदेश दिए गए । श्री गोस्वामी और श्री अहमद पर घर के अंदर से भारी गोलीबारी होने लगी । लेकिन श्री गोस्वामी और श्री अहमद इसकी परवाह न करते हुए, गोलीबारी करने वाले उग्रवादियों की तरफ बढ़े । श्री गोस्वामी टांग में गोली लगने से घायल हो गए और श्री अहमद के हाथ पर गोली लगी । घायल होने के बावजूद, वे लगातार गोलीबारी करते रहे जिसके परिणामस्वरूप एक उग्रवादी मुठभेड़ में मारा गया। दूसरा उग्रवादी चुपके से नजदीक के

घनी आबादी वाले रिहाइशी क्षेत्र में घुस गया और बच कर भाग निकला। कार्रवाई के पश्चात 7 जीवित कारतूस, एक खाली कारतूस, 9 एम॰एम॰ के 7 खाली कारतूस, फायर की हुई 6 लीड, उल्फा संगठन का एक मुद्रित पर्ची और सुमंता बोरा का एक ड्राईविंग लाइसेंस बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री मानिक गोस्वामी, उप निरीक्षक और बोसिरुद्दीन, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24.3.98 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 65-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री राम प्रसाद मीणा, आई•पी•एस•
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोरहाट,
असम ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

गांव थेकेरागुड़ी के अंदर और आस-पास उल्फा उग्रवादियों की गुप्त गतिविधियों के बारे में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, श्री आर•पी• मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोरहाट की कमान में पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक संयुक्त पार्टी ने, 01•02•98 के सुबह-सुबह एक आक्रमक छापा एवं तलाशी अभियान चलाए । इस पार्टी को 4 छोटी-छोटी उप-पार्टियों में बाँट दिया गया और सभी घरों के समूहों को कवर करते हुए छापा मारा गया। जब श्री मीणा ने अपने एस्कोर्ट के साथ घरों के पहले समूह पर छापा मारा, तो उन पर गोलियों की बौछार की गई। श्री मीणा, तत्काल गोलीबारी कर रहे उग्रवादी की तरफ बढ़े और पार्टी को घरों को पिछली तरफ से घेरने का निदेश दिया। तथापि, जब श्री मीणा और आगे बढ़ रहे थे तो वे उग्रवादी द्वारा की जा रही गोलीबारी से बच गए। श्री मीणा गोलीबारी कर रहे उग्रवादी पर झपटे और नजदीक से गोलियां चलाकर उसे निष्क्रिय कर दिया।

इस उग्रवादी की पहचान बाद में स्ट्रैंग हजारिका उर्फ अतुल गोहेन उर्फ उल्फा की पब मंडल परिषद का एस•एस•मुख्य पार्टीचालक सत्य बोरुआ के रूप में की गई, जो ऊपरी असम के पाँच जिलों में उग्रवादी गतिविधियों का मुख्य संयोजक था। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोला-बारूद बरामद किया गया :-

1. एक फैक्टरी निर्मित पिस्तौल ।
2. उक्त पिस्तौल की एक खाली मैगजीन ।
3. 5 (पाँच) राउंड की भरी हुई मैगजीन ।

इस मुठभेड़ में, श्री आर. पी. मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1)(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1.2.98 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 66-प्रेज/99 -राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक

(विवंगत) श्री राज कुमार सिंह,
सहायक उप निरीक्षक ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

28-04-97 को लगभग 12-30 बजे देशी पिस्तौलों से लैस 4 अपराधी, धनबाद जिले में बी-सी-सी- क्षेत्र, पंचायत में बैंक आफ इंडिया के परिसर में घुस गए और उनमें से दो ने सुरक्षा गार्ड को पकड़ लिया और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश की। सुरक्षा गार्ड ने शोर मचाया और बैंक सायरन भी बजा दिया। एक सहायक उप-निरीक्षक जो सुरक्षा चैकिंग के दौरान उस समय वहाँ पर मौजूद थे, ने तुरंत कार्रवाई की। स्थिति का अनुमान लगाना अत्यधिक कठिन था। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, उन्होंने अंत में विजयी होने की आशा में निहत्थे एक बेजोड़ लड़ाई लड़ी। ज्यों ही वे लूटेरों पर झपटे, उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद श्री सिंह उनमें से एक को जमीन पर पटकने में सफल हो गए और उसकी भरी हुई पिस्तौल छीन ली। तथापि, इससे पहले कि वे छीनी हुई पिस्तौल को संभाल पाते, उन अपराधियों में से एक ने, अपने गिरे हुए असहाय साथी को छुड़ाने के लिए बहुत नजदीक से श्री सिंह के सिर पर गोली मार दी। श्री सिंह उसी समय बेहोश हो कर गिर पड़े और तदुपरान्त उनकी मृत्यु हो गई। श्री सिंह के नीचे गिरते ही सभी अपराधी सड़क के किनारे खड़ी की गई मोटर-साईकलों पर फरार हो गए। इस घटना में, एक जूता और भरी हुई .303 की देशी पिस्तौल घटनास्थल से बरामद और जब्त की गई ।

इस मुठभेड़ में, विवंगत श्री आर-के- सिंह, सहायक उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति की पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1)(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28-4-97 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 67-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है. :-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री वी० सत्यनारायण,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

---

17 सितम्बर,1997 को स्वागत टॉकिज रोड पर कुछ सांप्रदायिक उपद्रव भड़क उठे जिसके कारण पथराव, बसों में आग लगाने की घटनाएं हुई । इस बारे में सूचना प्राप्त होने पर श्री सत्यनारायण, जो तिलक नगर पुलिस स्टेशन पर ड्यूटी पर थे, एक पुलिस उप-निरीक्षक के साथ घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े । वहाँ पहुँचने पर, उन दोनों ने भीड़ को एक बस में, आग लगाने से रोकने की कोशिश की। इस पर भीड़ ने पुलिस उप-निरीक्षक पर हमला कर दिया। श्री सत्यनारायण अपने सहकर्मी को बचाने के लिए बढ़े और इस प्रक्रिया में उन्होंने भीड़ पर लाठी-चार्ज किया। भीड़ ने तलवारों और अन्य हथियारों से लैस होने के कारण दोनों पुलिस कर्मियों को दबोच लिया। उप-निरीक्षक को कुछ चोटें लगी और वह बेहोश हो कर गिर पड़ा। उसके बाद, श्री सत्यनारायण ने अकेले ही असंयत भीड़ का मुकाबला किया और उनको खदेड़ने की कोशिश की। उसके साथ-साथ वह उप-निरीक्षक को भीड़ के हमले से भी बचाने की लगातार कोशिश करते रहे। यदि वे घटनास्थल से चले जाते, तो असंयत भीड़ द्वारा, उस उप-निरीक्षक जो नीचे गिर गया था, मार दिया गया होता। उप-निरीक्षक को असंयत भीड़ के हमले से बचाते हुए उन्होंने श्री सत्यनारायण पर तलवारों और लोहे की छड़ों से हमला किया जिसके कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्मी होने की वजह से उन्होंने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया । पुलिस उप-निरीक्षक इलाज के पश्चात जीवित बच गया। श्री सत्यनारायण ने सेवा की उच्चतम परंपराओं को बनाए रखते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत श्री वी० सत्यनारायण, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17•9•97 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 68-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री मेहतर लाल खुंटे,
कांस्टेबल,
बिल्हा, बिलासपुर,
मध्य प्रदेश ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

16/17 मई,1996 की रात को कुछ अज्ञात व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर श्री एम॰एल॰ खुंटे, कांस्टेबल ने श्री रतिराम, कांस्टेबल के साथ उनका पीछा किया। इस प्रक्रिया में श्री खुंटे, श्री रतिराम से आगे निकल गए। श्री रतिराम ने एक लेन में कुछ व्यक्तियों को छुपे हुए देखा और उन्हें बाहर निकलने और अपना परिचय देने के लिए कहा। एक आक्रमणकारी देशी पिस्तौल श्री रतिराम पर तानते हुए बाहर निकला। श्री रतिराम ने अपने बचाव की कार्रवाई में उस व्यक्ति के हाथ पर अपनी बेंत से प्रहार किया और उसे दबोच लिया। इसी बीच दूसरा अपराधी बाहर निकल आया और उसने कांस्टेबल रतिराम पर गोली चला दी जिससे वे घायल हो गए। श्री रतिराम बेहोश हो कर गिर पड़े । श्री रतिराम के चिल्लाने को सुनकर, श्री खुंटे तेजी से घटनास्थल की ओर भागे, डकैतों के साथ भिड़ गए और उन दोनों सशस्त्र व्यक्तियों को काबू में कर लिया। इस दौरान 4-5 अपराधी छुपने के स्थान से बाहर निकल आए और अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वे, उन्हें, श्री खुंटे की गिरफ्त से नहीं छुड़ा सके । उन्होंने श्री खुंटे पर दो गोलियां चलाई जो उनके सीने और सिर के दायीं तरफ लगी जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गए। श्री खुंटे जमीन पर गिर पड़े । गोलियों की आवाज सुन कर एक श्री राकेश बग्गा ने अपनी खिड़की से झांकने की कोशिश की, डकैतों ने उस पर भी गोली चलाई जिससे उसकी आँखें जख्मी हो गई और वे अंधेरे का फायदा उठा कर बच कर भाग निकले । इसी बीच, अतिरिक्त बल वहां पहुँच गए और दोनों घायल कांस्टेबलों को स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया जहाँ श्री खुंटे ने घावों के कारण दम तोड़ दिया ।

इस मुठभेड़ में, दिवंगत श्री एम॰एल॰ खुंटे, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1)(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16॰5॰96 से दिया जाएगा ।

वरुण मिश्रा

वरुण मिश्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 69-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

	अधिकारी का नाम और रैंक
#विवंगत#	श्री जगत राम आर्य, कांस्टेबल पस ए पफ, ग्वालियर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

30 जून,1998 को, अपने नियमित सफर पर मगरोनी से शिवपुरी जाते हुए एक बस को तीन डाकुओं ने रास्ते में पटैयाटि पर रोक लिया । श्री जगतराम आर्य, कांस्टेबल, जोकि उसी बस में सफर कर रहे थे और निशस्त्र थे, ने डाकुओं को ललकारा । वह बस के दरवाजे की ओर दौडे और उसे लॉक कर दिया ताकि डाकु बस के अन्दर प्रवेश न कर सकें । इसी के साथ उन्होंने भयभीत यात्रियों का हौसला बढाया । इसी दौरान, डाकुओं ने श्री जगतराम पर गोली चला दी जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई । इसके बाद उन्होंने यात्रियों को लूटा और उनमें से दो का अपहरण कर लिया । श्री जगतराम ने सेवा की उच्चतम परम्पराओं को बनाए रखते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया ।

इस मुठभेड में, #विवंगत# श्री जगतराम आर्य, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4#1# के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30•6•1998 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 70-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, उड़ीसा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक

(दिवंगत) श्री बिनोबा मेहर,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

18.6.98 को जब गांव सिन्धीगांव के समीप भूमि समतल करने का कार्य चल रहा था, तो श्री नारायण रेड्डी के नेतृत्व में समाज विरोधी व्यक्तियों का एक ग्रुप अचानक बुलडोजर के समीप आ धमका और कुमारी चित्रा अरूनगम, आई ए एस, एस डी एम, जो ड्यूटी पर थी, को निशाना बना कर एक बम फैंका । एस डी एम की जान के लिए खतरे को भांपते हुए, श्री बिनोबा मेहर, पुलिस के रिजर्व निरीक्षक, जोकि सिन्धीगांव में ड्यूटी पर थे अनायास समाजविरोधियों का सामना करने के लिए आगे दौड़े और ऐसा करके वस्तुतः उन्होंने बम को अपने ऊपर ले लिया । श्री बिनोबा मेहर के पेट में घाव लगे और खून से लथपथ वे भूमि पर गिर पड़े । उन्हें तुरन्त बहरामपुर अस्पताल ले जाया गया । बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए अपोलो हस्पताल, हैदराबाद स्थानान्तरित किया गया, जहां दुबारा उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन भरसक प्रयासों के बावजूद जख्मों के कारण 2.7.98 को उनकी मृत्यु हो गई, श्री बिनोबा मेहर ने असाधारण कोटि के साहस का परिचय दिया और सेवा की उच्चतम परम्पराओं को बनाए रखते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री बिनोबा मेहर, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18.6.1998 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा
बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 71-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री सत्येन्द्र वीर सिंह,
अपर पुलिस अधीक्षक सिटि,
(पश्चिम) लखनऊ ।

श्री राजेश कुमार पाण्डे,
उप पुलिस अधीक्षक, सर्किल अधिकारी
केसरबाग, लखनऊ ।

श्री रविन्द्र कुमार सिंह,
उप निरीक्षक (मरणोपरान्त)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

---

9 सितम्बर,1997 को शाम के समय एक वांछित हत्यारे श्री प्रकाश शुक्ला के अपने साथियों के साथ जनपथ मार्किट में मौजूद होने की सूचना प्राप्त होने पर श्री पाण्डे, उप-पुलिस अधीक्षक, श्री सिंह, उप-निरीक्षक और रणवेन्द्र सिंह, हेड-कांस्टेबल के साथ श्री सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़े । वहां पहुंचने पर, पुलिस ने एक दुकान के निकट चार बदमाशों को संदिग्धावस्था में खड़े देखा । समर्पण करने के लिए कहने पर, एक बदमाश ने अपने थैले से ए के राइफल निकाल ली और पुलिस पार्टी पर गोली चलाई । सर्वश्री एस॰ बी॰ सिंह और पाण्डे, उप पुलिस अधीक्षक ने तुरन्त जवाबी गोलीबारी की और गोलियों के आदान-प्रदान में बदमाश मारा गया। श्री सिंह ने अन्य भागते हुए अपराधियों का पीछा किया लेकिन उन्होंने इन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया । इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां जख्मों के कारण इनकी मृत्यु हो गई । मारे गए अपराधी की पहचान तुन्नाराम के रूप में की गई और पुलिस ने घटनास्थल से एक ए॰के॰ 56 राइफल के साथ अन्य सक्रिय गोला-बारूद बरामद किया ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एस॰वी॰ सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, आर॰के॰ पाण्डे, उप-पुलिस अधीक्षक और वियंगत श्री आर॰के॰ सिंह, उप निरीक्षक ने सेवा की उच्चतम परम्पराओं को बनाए रखते हुए, अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9-9-1997 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 72-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों का नाम और रैंक	
श्री विजय कुमार गुप्ता, उप महानिरीक्षक, मेरठ ।	पुलिस पदक का बार
श्री कृपाल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, मेरठ ।	
श्री विजय कुमार निरीक्षक, कार्य बल ।	

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री पंकज गोयल और उनके परिवार को लूटने के बाद नरेश प्रमुख और उसके गिरोह के भालसोना गांव की ओर जाने के बारे में श्री गुप्ता, उप महानिरीक्षक को 7 अगस्त,1998 को लगभग 23·30 बजे एक गुप्त सूचना मिली । श्री गुप्ता ने तत्काल अपने कार्य बल और श्री कृपाल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक को उन्हें बीच में ही रोक देने का निदेश दिया । उनकी गतिविधियों का अनुमान लगाकर श्री गुप्ता उन पर निगाह रखने के लिए स्वयं भालसोना ब्रिज पहुंचे । 8 अगस्त,1998 को लगभग 10·30 बजे पूर्वाह्न जब पुलिस ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री गुप्ता ने स्थिति को नियंत्रण में लेकर, बदमाशों को समर्पण करने की चेतावनी दी लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । बदमाशों द्वारा की जा रही अन्धाधुन्ध गोलीबारी के बावजूद श्री गुप्ता अपनी फोर्स के साथ उनके आमने-सामने हो गए और नियोत्रित गोलीबारी करते हुए

आगे बढ़ते गए जिसकी वजह से खुंखार नरेश प्रमुख अपने साथी नामतः हरेन्द्र के साथ मारा गया । मारे गए अपराधियों से श्री गोयल की लूटी हुई एक जेन कार, एक सेल्युलर फोन और श्री गोयल के 1/2 कि॰ग्रा॰ स्वर्ण आभूषणों सहित एक 303 बोर की राइफल, एक 455 बोर का रिवाल्वर बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री वी॰के॰ गुप्ता, उप-महानिरीक्षक, कृपाल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक और विजय कुमार, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7॰8॰98 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा

राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 73-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री ज्ञान सिंह,
कांस्टेबल,
6 वैं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

अनन्तनाग जिले (जम्मू और कश्मीर) के कुकरनाग में विद्रोह विरोधी अभियानों के लिए सीमा सुरक्षा बल की 6 वैं बटालियन तैनात थी । 2 फरवरी,98 को पोरू गांव में कुछ उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई । 6 वैं बटालियन की एक कम्पनी द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया । कम्पनी ने गांव की घेराबंदी की । श्री ज्ञान सिंह, कांस्टेबल, जिनके पास एल एम जी थी, को मोहम्मद अकरम लोन नामक व्यक्ति के उस मकान के समीप तैनात किया गया जहां उग्रवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी । घेराबन्दी पूरी ही होने वाली थी कि उस मकान में छिपे उग्रवादियों ने ए के राइफलों से गोलीबारी शुरू कर दी । विद्रोहियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के कारण श्री ज्ञान सिंह बड़ी नाजुक स्थिति में थे और जब वह अपनी एल एम जी के साथ पोजीशन लेने के लिए समुचित आड़ तलाश रहे थे कि एक ग्रेनेड उनके सामने आकर गिरा । घेरा पार्टी के अन्य सदस्य उनके दाएं और बाएं थे । श्री ज्ञान सिंह खड़े हो गये और ग्रेनेड को उठा लिया और उसे उसी मकान की ओर वापिस फैंका जहां से विद्रोही गोलीबारी कर रहे थे । हालांकि, वह अब सीधा निशाने पर थे लेकिन सौभाग्यवश विद्रोहियों की गोली उन्हें नहीं लगी । श्री ज्ञान सिंह द्वारा फैंका गया ग्रेनेड मकान के समीप गिरते ही फट गया । तब तक श्री ज्ञान सिंह ने लेट कर पोजीशन सम्भाल ली थी और इसलिए ग्रेनेड से निकली किरचे उन्हें घायल नहीं कर सकीं । जवाबी कार्रवाई करके उन्होंने अपनी और अपने साथियों की जानें बचाईं जो उनके दांय और बांय थे । इसी दौरान वह एक सुरक्षित स्थान में पहुंच गए और पोजीशन लेकर उन्होंने एल एम जी से मकान की उस खिड़की में से गोलीबारी की जिससे गोलियां आ रही थीं । इसी बीच, घेराबंदी और समीप आ गई थी और अपनी एल

एम जी से भारी गोलीबारी करके श्री ज्ञान सिंह एक उग्रवादी को मारने में सफल हो गए जिसकी पहचान बाद में हिजबुल मुजाहिद्दीन के खुंखार कट्टर उग्रवादी के रूप में की गई । वहां की गई बरामदगी में ग्रेनेड लॉचर सहित 1 ए के 56 राईफल, 4 ए के 56 मैगजीन, 90 राउन्ड ए के गोलाबारूद, 10 कारतूस ए के ई रफ सी, 1 ट्रांसरिसिवर सेट, 1 रेडियो और 710 रूपए की भारतीय मुद्रा शामिल है ।

इस मुठभेड़ में, श्री ज्ञान सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2-2-1998 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 74-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री पी॰एस॰ चहल,
कमांडेंट,
48 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री विमल मोहन,
कमांडेंट,
94 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री विक्रम कंवर,
सहायक कमांडेंट,
48 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री जयपाल सिंह,
हैड-कांस्टेबल,
48 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री वेद प्रकाश,
कांस्टेबल,
48 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री भारत भूषण,
कांस्टेबल,
126 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

सीमा सुरक्षा बल की 48 वीं बटालियन, श्रीनगर शहर की साकीवाफाल-सौरा धुरी में तैनात थी । उसे अंचर झील से आने वाले उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने और साकीवाफाल-सौरा धुरी पर प्रभुत्व स्थापित करने और इस धुरी पर स्थित गांवों में उग्रवादियों को शरण लेने से रोकने का काम दिया गया था । 18·8·97 को कम्पनी मुख्यालय में सूचना प्राप्त हुई कि पाक-उग्रवादियों के एक ग्रुप ने थीरू गांव में शरण ले रखी है । अभियान चलाने की योजना बनायी गयी और श्री विक्रम कंवर, सहायक कमांडेंट, थीरू गांव की तरफ रवाना हो गए और गांव के चारों तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया । तथापि, ट्रूप्स की गतिविधियों का पता चल गया और उन पर भारी गोलीबारी की गयी । श्री वेद प्रकाश, कांस्टेबल की बांयी पसलियों के नीचे गोली लगी । घेरे को आगे बढ़ने और उस पर पकड़ मजबूत होने से रोकने के लिए मकानो में शरण लिए हुए दो उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के जवाब में घेरा डालने वाले दल ने जवाबी गोलीबारी की । श्री पी·एस· चहल, कमांडेंट और श्री बी·एन· काबू, उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल के 94 वीं बटालियन के कमांडेंट श्री विमल मोहन और एक कम्पनी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे । कुछ समय बाद यह सुनिश्चित हो गया कि उग्रवादियों ने एक गोशाला में शरण ले रखी है । इस गोशाला की दीवारें कंक्रीट की थी और इसके उत्तर और पश्चिम दिशा में छोटी-छोटी खिड़कियां थी तथा पूर्वी दिशा में एक दरवाजा था । श्री काबू और श्री चहल, स्थिति का जायजा लेने के बाद सामने के दरवाजे को कवर करने के लिए एक सशस्त्र वाहन लाए और इस प्रकार उग्रवादियों के सामने की ओर से भाग निकलने की सम्भावनाओं को पूरी तरह खत्म कर दिया । दोनो तरफ जमा किए गए लकड़ी के लठ्ठों की आड़ में मकान के चारो तरफ एल·एम·जी· तैनात करके, श्री चहल अपनी राइफल का प्रयोग करके खिड़कियो के रास्ते ग्रेनेड दागने में कामयाब हो गए । एक उग्रवादी जो गोशाला में था, लकड़ी के लठ्ठों के पीछे से रेंगते हुए बाहर आने में सफल हो गया और चुपके से घेरे से निकलने ही वाला था कि श्री चहल, श्री विमल मोहन, कमांडेंट और सी·टी· भारत भूषण ने उसे देख लिया और उन सभी ने एक साथ गोलीबारी करके उस उग्रवादी को मार गिराया । गोशाला के अन्दर से गोलियां लगातार आती रही और अततः मकान पर धावा बोलने का निर्णय लिया गया । श्री विमल मोहन ने दो जी एफ राइफलें तैनात की, इसके अलावा एक सशस्त्र वाहन गोशाला के आगे के दरवाजे पर तैनात था । यह सुनिश्चित करने के बाद कि घेरा डालने वाले सभी कार्मिक सुरक्षित है, उन्होंने दो ग्रेनेड दागने का आदेश दिया । दो ग्रेनेड सीधे दरवाजे पर दागे गए जिससे वह उड़ गया । तत्काल, चार और ग्रेनेड गोशाला में फैंके गए । तब तक अन्धेरा हो गया था और गोशाला के अन्दर से गोलाबारी रुक गई थी, अतः धावा न बोलने का निर्णय लिया गया । अगली सुबह एक हमलावर पार्टी गोशाला के अन्दर गई लेकिन वहां

किसी को नहीं पाया । उन्होंने देखा कि वहां पर खाईयां खुदी हुई हैं जिनमें उग्रवादी छिपे हुए थे, शायद उसी की वजह से उन पर हथगोलो का कोई असर नहीं पड़ा । उग्रवादी अंधेरे की आड़ में रेंगते हुए बाहर निकलने में कामयाब हो गए और धान के खेतों में घुस गए । जब पार्टी धान के खेतो में तलाशी ले रही थी तो एक उग्रवादी हथगोला फैकने और टुकड़ियों पर गोलियां चलाने में कामयाब हो गया । गोलियों की बौछार से यह उग्रवादी मारा गया और अभियान समाप्त हो गया । 2 ए•के• 47, ए•के• 47 की 7 मैगजीने, ए•के• श्रेणी की 119 गोलाबारूद, 2 हथगोले, बेयोनेट स्केबबार्ड के साथ एक बेनट, 1 क्लीनिंग किट, 1 तेल की बोतल, 1 मैगजीन पाऊच, 1 वाटर-प्रूफ जैकेट और एक छोटा ट्रांजिस्टर बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री पी•एस• चहल, कमांडेंट, विमल मोहन, कमांडेंट, विक्रम कंवर, सहायक कमांडेंट, जयपाल सिंह, हैड-कांस्टेबल, वेद प्रकाश, कांस्टेबल और भारत-भूषण कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18•8•1997 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 75-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

	अधिकारियों का नाम और रैंक	
§दिवंगत§	सोनाउल्लाह गनाई हैड कांस्टेबल, 52 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
§दिवंगत§	सुरजीत सिंह, कांस्टेबल, 52 वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल	वीरता के लिए पुलिस पदक
	श्री गुगन राम हैड-कांस्टेबल 52 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल	वीरता के लिए पुलिस पदक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

सीमा सुरक्षा बल की 52 वीं बटालियन, गन्दरबल क्षेत्र में तैनात थी । 3 जनवरी,1998 को गन्डरबल के पश्चिम दिशा में बाबा सालिह ऋषि गांव के नजदीक एक छोटी सी गुफा में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली । इस गुफा, जिसका पता यूनिट द्वारा पहले की गई खोज के दौरान नहीं लगाया जा सका था, को खोजने के लिए इस क्षेत्र में 1 एस•ओ• और 15 अन्य रैंको की पेट्रोल तैनात की गई । 1 एस•ओ• और 7 अन्य रैंको की एक दूसरी पार्टी, उत्तरी दिशा से, उसी क्षेत्र में, विभिन्न दिशाओं से जाने के लिए तैनात की गई । गुफा की स्थिति से

अनजान, यह पार्टी पेड़ों की आड़ में युक्तिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े । दूसरी पार्टी में हैड-कांस्टेबल सोनाउल्लाह गनाई एक स्काउट के रूप में कार्य कर रहे थे जिसके पीछे सुरजीत सिंह थे । यह भू-भाग पहाड़ी था, जिसमें पेड़ और झाड़-झंखाड़ थे । एक मोड़ पर जाते हुए, श्री सोना उल्लाह गनाई पर गोलियों की बौछार की गई । इससे पहले कि वे आड़ लेते, सोनाउल्लाह पर एक गोली लगी । हालांकि, वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, उन्होंने पेट्रोल को सावधान कर दिया और उन्हें आड़ लेने के लिए कहा । जख्मो के बावजूद, श्री सोनाउल्लाह, पेड़ों की आड़ लेते हुए 15 मीटर तक जाने में कामयाब हो गए और उन्होंने पहाड़ी में एक दरार देखी जो सम्भवतः गुफा थी और जिसमें उग्रवादी छिपे हुए थे । संदिग्ध हलचल की आवाज सुनकर विद्रोहियों ने उनकी दिशा में गोलियां चलाई जिससे वहां पर उन विद्रोहियों के होने का पता चल गया । श्री सोनाउल्लाह ने तत्काल जबावी गोलीबारी की और एक उग्रवादी को मार गिराया, लेकिन उन्हें भी दो और गोलियां लग गई । श्री सोनाउल्लाह गनाई को गंभीर रूप से जख्मी होते देख, श्री सुरजीत सिंह अपने को जोखिम में डालते हुए उनकी तरफ भागे और उनके शव को आड़ में खींचने की कोशिश की । ऐसा करते हुए, विद्रोहियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, वे नीचे गिर पड़े और घावों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया । इसी बीच, दूसरी पार्टी उस क्षेत्र में पहुंच गयी और हैड-कांस्टेबल गुगन राम आगे बढ़े और गुफा को विभिन्न दिशाओं से कवर कर लिया । इस बात से अनजान कि यह पार्टी आ गई है, उग्रवादियों ने बाहर आकर भागने की कोशिश की । दो विद्रोहियों को भागते हुए देख श्री गुगन राम, हैड-कांस्टेबल ने उन पर गोलियां चलाई और दोनो को मार गिराया । इस प्रक्रिया में, श्री भूपेन्द्र सिंह, सी॰ टी॰ को गोली लग गई जो उनके साथ ही गोलीबारी कर रहे थे । अब तक गुफा को दो दिशाओं से कवर कर लिया गया था और दोनो ओर से भारी गोली-बारी हुई । इस कार्रवाई में दो और विद्रोही मारे गए । जब गोलीबारी बंद हो गई तो पार्टी गुफा के अन्दर घुस गई और वहां दो और शव पाए तथा 1 ए॰के-47, 1 ए॰के॰ 56, 1 हथगोला, 3 राइफल ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में गोलाबारूद बरामद किया।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री सोनाउल्लाह गनाई, हैड-कांस्टेबल, सुरजीत सिंह, कांस्टेबल और गुगनराम, हैड-कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/ पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3॰1॰1998 से दिया जाएगा ।

वरुण मिश्रा

वरुण मिश्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 76-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

	अधिकारियों का नाम और रैंक	
§विवंगत§	श्री ऋषीपाल सिंह उप निरीक्षक, 58 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।	राष्ट्रपति का पुलिस पदक
	श्री राकेश कुमार, लांसनायक, 58 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।	वीरता के लिए पुलिस पदक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

19•12•97 को लगभग 1110 बजे श्री ऋषीपाल सिंह, उप निरीक्षक को पता चला कि 5 विद्रोहियों का एक गुप गांव बन्ना में घूमते हुए देखा गया है । श्री सिंह, 14 अन्यों की एक पार्टी के साथ तुरन्त घटनास्थल की ओर गए । इसी बीच उनके कमांडेंट ने जिन्हें सूचित कर दिया गया था, गांव माना के ईर्द-गिर्द स्तप लगाने के लिए तीन अन्य पार्टियों को भेज दिया । गांव में, श्री सिंह की पार्टी ने विद्रोहियों की गतिविधियां देखी, जिन्होंने छोटी पहाडियों के पीछे मोर्चा सम्भाला और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । इस बीच, श्री सिंह ने मोर्चा सम्भाल लिया । श्री राकेश कुमार ने पहाडियों के पीछे एक उग्रवादी की हरकत देखी और उस पर गोली चला दी जिससे वह उसी समय और वहीं पर ढेर हो गया । तथापि, श्री कुमार को, आगे बढ़ते समय गोली लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । श्री सिंह, उग्रवादियों की गोलीबारी के बावजूद श्री कुमार के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए और उन्हें खीच लिया । ऐसा करते समय, उनके पेट में गोली लगी । फिर भी, वे जबाबी गोली चलाने में कामयाब हो गए और एक और उग्रवादी को मार गिराया।

गोलीबारी तब तक होती रही जब तक उग्रवादी, पहाड़ी की आड़ लेकर वापस नहीं भाग गए । इससे पहले कि श्री ऋषीपाल सिंह को सुरक्षित स्थान पर हटा लिया जाता, उन्होंने जख्मों के कारण दम तोड़ दिया ।

क्षेत्र की तलाशी के दौरान, 2 विद्रोहियों के शव, मैगजीन सहित 1 ए.के. राइफलें, मेगजीनो सहित एक चीनी पिस्तौल और एक दूरबीन सहित 2 रूसी ग्रेनेड बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, #दिवंगत# श्री ऋषीपाल सिंह, उप निरीक्षक और राकेश कुमार, लांसनायक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4#1# के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19•12•1997 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 77-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री पन सिल्वाराज,
कांस्टेबल,
68 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

ओ॰सी॰ बोंगईगांव (असम) पुलिस स्टेशन के बुलाने पर श्री श्रीपाल, हैड-कांस्टेबल के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 68 वीं बटालियन के डी कम्पनी की एक प्लाटून को 1॰12॰97 को एक आपरेशन पर तैनात किया गया था । इस प्लाटून को, बोंगईगांव शहर के बाहरी क्षेत्र में, पुलिस स्टेशन बोंगईगांव के श्री सैकिया के पर्यवेक्षणाधीन तलाशी लेने के लिए तैनात किया गया । लगभग 1330 बजे उपर्युक्त क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाते हुए, एक सशस्त्र व्यक्ति को चोरी-छिपे घूमते हुए देखा गया और तलाशी पार्टी द्वारा ललकारने पर, उसने भागने की कोशिश करते हुए उन पर गालियां चलायी । तलाशी पार्टी के सदस्य श्री सिल्वाराज ने उग्रवादी द्वारा की जा रही गोलीबारी के बावजूद, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, उस उग्रवादी का पीछा किया । पीछा करने की कार्रवाई के दौरान उन्होंने अपनी ए॰के॰-47 राईफल से गोली चलायी, जिससे उग्रवादी मारा गया। मृतक उग्रवादी की शिनाख्त बाद में उल्फा के सशस्त्र केडर के कनक किशोर राम के रूप में की गई। मारे गए उग्रवादी से गोलाबारूद के 5 सक्रिय राउन्ड के साथ एक चीन निर्मित एम 20 पिस्तौल, 3 मेगजीनों के साथ एक ए॰के॰ 56 राइफल और सक्रिय गोलाबारूद के 67 राउन्ड और दो सक्रिय राउन्ड सहित एक ॰32 बेल्जियम पिस्तौल बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में, श्री पन सिल्वाराज, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1॰12॰1997 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 78-प्रेस/99 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री जे॰आर॰ लस्कर,
लांसनायक,
5 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ए॰ चौधरी,
लांसनायक,
5 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

उग्रवादियों के छिपने के स्थान के बारे में, 4 जुलाई,1997 को लगभग 0430 बजे सूचना मिलने पर, जम्मू और कश्मीर पुलिस सहित श्री राम सिंह, उप निरीक्षक की कमान में एक प्लाटून तत्काल उस दिशा में रवाना हुई । वहां पहुंचने पर, पुलिस पार्टी को पता चला कि गुलजार खान उर्फ समीर खान नामक उग्रवादी गांव-वूडर में एक मकान में छिपा हुआ है । उस क्षेत्र की घेराबंदी करने के बाद, पुलिस पार्टी ने उग्रवादी से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन उसके जवाब में उग्रवादी ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाई । उस उग्रवादी ने उनकी तरफ हथगोले फैंके । पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की और दोनो तरफ से लगभग एक घंटे तक गोलीबारी होती रही । उसके बाद, उग्रवादी घेरे को तोड़ने और भागने की मंशा से, घर से कूदकर बाहर आया और एक पेड़ के पीछे छुप गया । प्लाटून के अन्य सदस्यों द्वारा की जा रही गोलीबारी की आड़ में सर्वश्री ए॰ चौधरी और जे॰आर॰ लस्कर, लांसनायक, उग्रवादी के छिपने के स्थान की तरफ बढ़े । उग्रवादी प्लाटून पर लगातार गोलियां चलाता रहा । सर्व/श्री चौधरी और लस्कर उग्रवादी की टांग पर गोली चलाने में

कामयाब हो गए । उग्रवादी ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाते हुए अन्य सुरक्षित स्थान पर मोर्चा लेने की कोशिश की । सर्व/श्री चौधरी और लस्कर ने गोली चलाकर उग्रवादी को भागने लायक नहीं छोड़ा । तब उग्रवादी ने हथगोले फेंकने शुरू कर दिए । श्री चौधरी द्वारा की गई गोलीबारी से उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया । उग्रवादी की शिनाख्त बाद में, हिजबुल मुज्जाहिद्दीन, प्रमुख उग्रवादी गिरोह और अनेक हत्याओं/अपराधो के लिए जिम्मेवार चीफ कमांडर के रूप में की गई । बरामद की गई वस्तुओं में ग्रेनेड लाउन्चर के साथ ए.के. 56 राइफल, 4 ए.के. 56 मैगजीने, 15-ए.के. 56 राउन्ड, एक ग्रेनेड चार कामचलाऊ विस्फोटक युक्तियों और एक दूरबीन शामिल है ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री जे.आर. लस्कर, लांसनायक और ए. चौधरी लांसनायक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4.7.1997 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

बरुण मित्रा

राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 79-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री आनन्द सिंह,
सहायक कमांडेंट,
5 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

21·10·1997 को, गांव - चक्यानगूरा में कुछ कट्टर उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में एक विशिष्ट सूचना मिलने पर, श्री आनन्द सिंह, सहायक कमांडेंट, 2 प्लाटूनों और जम्मू और कश्मीर एस·टी·एफ· के 3 कार्मिकों के साथ तत्काल गांव को रवाना हुए । यह पार्टी गांव पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर ली । श्री सिंह ने, छिपे हुए उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और घेराबन्दी पार्टी पर अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चूंकि उग्रवादी मस्जिद में छिपे हुए थे इसलिए टुप्स उन पर गोलियां नहीं चला सके । उग्रवादियों की गोलियों से और ग्रामीणो से आगे पूछताछ करने पर यह पता चला कि मस्जिद में केवल एक उग्रवादी है । श्री सिंह ने, उग्रवादी को मस्जिद से बाहर निकलने पर मजबूर करने के लिए एक योजना बनाई। श्री सिंह, अपने मोर्चे से बाहर निकले और नजदीकी एक नाले से मस्जिद के गेट तक पहुंचे । उन्होंने अपने दो कार्मिकों को, उग्रवादियों को भ्रमित करने के लिए कवरिंग फायर करने का आदेश दिया और मस्जिद को किसी प्रकार के नुकसान से बचाने को कहा । उसके बाद, श्री सिंह ने, हमाम में अश्रु गैस के 2 गोले फायर किए और तुरन्त नाले में लेट गए । जब उन्होंने अश्रु गैस का दूसरा गोला फैका तो छिपे हुए उग्रवादी ने श्री सिंह पर गोलियां चलाई, लेकिन वे बच गए क्योंकि वे तुरन्त नाले में लेट गए थे ।

अश्रु गैस के धुएं के कारण, उग्रवादी मस्जिद में नहीं ठहर सका और घेरा डालने वाली पार्टी पर अपनी ए•के• राइफल से अंधाधुंध गोलियां चलाता हुआ मस्जिद से बाहर आया । घेराबन्दी इस ढंग से की गई थी कि बल के सभी कार्मिकों ने उचित आड़ ले रखी थी । उग्रवादी ने खेतों में भागने की कोशिश की लेकिन श्री सिंह द्वारा उसे रुकने के लिए पुनः ललकारने पर, उग्रवादी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और श्री सिंह पर गोलिया चलाई । श्री सिंह ने उग्रवादी पर निशाना साध कर अपनी ए•के• राईफल से फुर्ती से कुछ गोलियां चलायी और उसे जख्मी कर दिया । जख्मी होने के बावजूद कट्टर आतंकवादी ने बल के कार्मिकों को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की और नजदीक की एक खाई में शरण ले ली और पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलाना शुरु कर दिया । इसी बीच, श्री सिंह और पार्टी ने गोलियों का जवाब दिया और उग्रवादी को खाई में रहने के लिए उलझाये रखा । स्थिति का जायजा लेने पर, श्री सिंह ने खाई में उग्रवादी पर एक राइफल ग्रेनेड दागने का आदेश दिया । ग्रेनेड के फटने के बाद, बल के कार्मिकों ने देखा कि उग्रवादी की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई । तब श्री सिंह उस खाई की तरफ बढ़े, जहां उग्रवादी छिपा हुआ था और देखा कि उग्रवादी मर गया है । बाद में मृतक उग्रवादी की शिनाख्त, प्रतिबंधित गिरोह हिज्ब-उल-मुज्जाहिद्दीन के फारूख अहमद वानी उर्फ फारूख मेजर उर्फ फाईटर के रूप में की गई । घटनास्थल से एक ए•के• राइफल, दो ए•के• मेगजीन और ए•के• 47 की 17 राउन्ड बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री आनन्द सिंह, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1)(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21•10•1997 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा

राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 60-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री रमा शंकर राय,
उप-कमांडेंट,
133 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ओंकार सिंह,
लांसनायक,
133 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अजीत कुमार सिंह,
कांस्टेबल,
133 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

2·6·98 को जहांनाबाद में उग्रवादियों के खिलाफ एक अभियान चलाने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो प्लाटूनों को सिविल पुलिस पार्टी के साथ तैनात किया गया था । श्री आर·एस· राय की कमान में ये प्लाटूनें गांव में पहुंची और उस क्षेत्र को घेर लिया । उग्रवादी एक घर में छिपे थे । तथापि, उस क्षेत्र को कवर किए जाने से पहले उग्रवादियों ने उस घर में से तथा उसकी छत से गोलीबारी करनी शुरू कर दी जहां वे छिपे थे । जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस कार्मिक उस घर की ओर बढ़ते गए और उस पर कब्जा कर लिया । उसके बाद उग्रवादियों ने गोली-बारी रोक

दी । सर्व/श्री राय और सिंह, उग्रवादियों के छिपने के अड्डे की ओर बढ़ते गए और उग्रवादियों पर हथगोला फैंक दिया । तदोपरांत घेरा डालने वाले पुलिस दल ने घर को खोला और 9 उग्रवादियों को वहीं पर मार डाला ।

1 एस•एल•आर• (दो मैगजीनो समेत), 1 9 मि•मी• की कारबाईन मय मैगजीन, एक माउगर रैंगुलर राइफल, मैगजीन समेत एक, 315 रैंगुलर राइफल, एक 303 मार्क ।।/ वाली राइफल मय मैगजीन, एक 303 मार्क की 3 राउण्ड का राइफल मय मैगजीन, 2 डी•बी•बी•एल• बंदूकें, 1 डी•बी•बी•एल• गन गोम्स तथा एक देशी पिस्तोल घटनास्थल से बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री आर•एस• राय, उप-कमांडेंट, ओंकार सिंह, लांसनायक और ए•के• सिंह ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2•6•1998 से दिया जाएगा ।

बरुण मित्रा

बरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 81-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री जय किशन,
कांस्टेबल,
19• वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा

श्री अजीत सिंह,
कांस्टेबल (माली),
19 वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

श्री परमिन्दर सिंह,
कांस्टेबल (जी-डी•),
23 वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

जम्मू व कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में अनन्तनाग जिले में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 19 वीं बटालियन को दिनांक 3•8•98 को चीरवाड़, मगराह बहीक और गैरोल क्षेत्रों में उग्रवादियों के मौजूद होने के बारे में गुप्त सूचना मिलने के बाद, उग्रवादियों के छिपने के अड्डों को निष्क्रिय करने के लिए कोड नाम "जगराता" से एक अभियान आयोजित किया गया । इस अभियान के लिए तैनात किए गए जवानों को तीन दलों, पहले की कमान उप-कमांडेंट एस•के• शर्मा, दूसरे की सहायक कमांडेंट निर्भय सिंह, तथा तीसरा दल, जिसे कुमुक बल के रूप में कार्य करना था, का

नेतृत्व कमांडेंट काबुल सिंह ने स्वयं किया । श्री एस•के• शर्मा और श्री निर्भय सिंह को क्षेत्र की छानबीन करने/तलाशी लेने का और हीयरा अहलान क्षेत्र में एकत्र होने का कार्य सौंपा गया था । जिस समय उपर्युक्त दल चीरवाड़, कैरोल, मगराय बैहक, रूछू, बुना एहलान क्षेत्र की छानबीन कर रहे थे/तलाशी ले रहे थे, तो उस क्षेत्र में छिपे उग्रवादियों का एक दल कापरान घाटी में बच कर भाग निकलने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ा । भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 24 वीं बटालियन भी गमदूरवुण्ड क्षेत्र में तैनात की गई थी ताकि यदि उग्रवादी कापरान घाटी से अहलान नार की तरफ जाते हैं, तो उनको घेरने के लिए श्री भगवान सिंह, सहायक कमांडेंट, के नेतृत्व में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 23 वीं बटालियन भी "स्टाप" पार्टी सहित तैनात की गई थी । जिस समय उग्रवादी घेरे से बचकर भाग निकलने की कोशिश में कापरान की ओर बढ़ रहे थे तो उग्रवादियों के दल के नेता, मंजूर अहमद मलिक ने कापरान घाटी में अपने साथियों के साथ वायरलैस सैट पर सम्पर्क कर अपने गिरोह को पीछे हटने का आदेश दिया जिससे कि वह पकड़ा न जा सके । जब उग्रवादी पीछे हट रहे थे, तो उनका सामना 23 वीं बटालियन की "बी" कम्पनी की "स्टाप" पार्टी के साथ हुआ । करीब 1115 बजे, दोनों ओर से गोली-बारी हुई । इस बीच, श्री एस•के• शर्मा, उप-कमांडेंट और श्री निर्भय सिंह, सहायक कमांडेंट, के नेतृत्व वाले दल भी मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए । श्री निर्भय सिंह की पार्टी ने एक कड़ा घेरा बनाया और जवाबी गोली-बारी की । 19 वीं बटालियन के कमांडेंट ने श्री एस•के• शर्मा, उप-कमांडेंट को एक एस•ओ• और 8 अन्य रैंकों के साथ दाहिने छोर, जहां से अंधाधुंध और भीषण गोलीबारी की जा रही थी, पर उग्रवादियों को निष्क्रिय करने के लिए वहां भेजा । इस बीच, श्री जय किशन, कांस्टेबल, अपनी जान को अत्यन्त जोखिम में डालकर उग्रवादियों के ठिकाने की ओर बढ़ा और उन पर गोलियां चलाई जिसके परिणामस्वरूप एच एम गुट का एक खूंखार उग्रवादी नेता, जिसकी शिनाख्त बाद में गुलाम हसन कासिम भाई निवासीः शाहबाद नौगाम, जिला-अनन्तनाग के रूप में की गई, मारा गया । जिस समय उग्रवादियों का दल पुश बाग क्षेत्र में जाने के लिए पीछे की ओर हट रहा था, तो उसे 23 वीं बटालियन की "बी" कम्पनी के दल ने घेर लिया जिसे स्पॉट हाईट-2621 पर एक "स्टाप" के रूप में तैनात किया गया था । श्री परमिन्दर सिंह, कांस्टेबल, 23 वीं बटालियन, उग्रवादियों की ओर बढ़े और तहसील-दूरू, जिला अनन्तनाग के गुलाम नबी भट्ट, उर्फ जांबांज नामक उग्रवादी को मार डाला । कमांडेंट ने सहायक कमांडेट निर्भय सिंह और उनके दल को बीच के दाहिने पहुंच मार्ग से चतुराई से बढ़ने के लिए निदेश दिया ताकि अन्य उग्रवादियों की पोजीशन को निष्क्रिय किया जा सके, जहां से अंधाधुंध भारी गोला-बारी की जा रही थी । श्री अजीत सिंह, कांस्टेबल, उग्रवादियों के छिपने के अड्डे की ओर बढ़े और उन पर हथगोले फैंके । परिणामस्वरूप, तहसील दूरू, जिला अनंतनाग के रहने वाले सईद गुलजार अहमद उर्फ मुंतज़िर नामक एक उग्रवादी को मार गिराया और मंजूर अहमद मलिक नामक घायल हुए एक उग्रवादी ने समर्पण कर दिया । इस कार्रवाई के दौरान, बरामद हुई सामग्री में एक ए•के•-47 राइफल, 2 ए•के•-56 राइफलें, ए•के•-56 का 75 राउण्ड गोली-बारूद, 6 मैगजीनें, एक 7•5" का खंजर/चाकू और एक क्षतिग्रस्त वायरलैस सेट, शामिल है ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री जय किशन, कांस्टेबल, अजीत सिंह, कांस्टेबल और परमिन्दर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3-8-1998 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 82-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री काबुल सिंह बाजवा,
कमांडेंट,
19 वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री काबुल सिंह, कमांडेंट को गांव चीरवाइ में कुछ कट्टर विदेशी उग्रवादियों के मौजूद होने के बारे में एक विशिष्ट सूचना मिली । तद्नुसार, एक तलाशी अभियान की योजना बनाई गई। 2 नवम्बर,1998, जब जवान उसके नजदीक पहुंचे, तो इस अभियान में अपनी कम्पनी का नेतृत्व कर रहे श्री राणा को एक घर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दीं । श्री राना ने तुरन्त अपने कमांडेंट को वायरलैस पर इसकी सूचना दी, और उनके अनुदेश पर श्री राणा ने उस घर के पुरूष और महिलाओं को बाहर बुलाया ताकि मकान की तलाशी ली जा सके । लेकिन उनकी इस बात का जब कोई जवाब नहीं मिला, तो श्री काबुल सिंह स्वयं घर के अन्दर गए और उन पर तथा उनकी कम्पनी पर अत्याधुनिक शस्त्रों से गोलियों की बौछार की गई और इस प्रकार मुठभेड़ शुरू हो गई । श्री राणा ने उग्रवादियों की गतिविधियां देखी और तुरन्त उन पर गोलियां चला कर दो खूंखार उग्रवादियों को मार गिराया । जिस समय श्री राणा आगे बढ़ते हुए एक अन्य उग्रवादी पर निशाना साध रहे थे तो उनके शस्त्र में कुछ खराबी आ गई और इतने में उग्रवादी ने उनकी गर्दन पर गोली मार दी । श्री काबुल सिंह, जो पास ही में थे, ने अपने साथियों को घेरा छोटा करने का आदेश दिया जिससे कि उग्रवादी वहां से बचकर सुरक्षित स्थान पर न जा सकें । जब श्री काबुल सिंह, श्री राणा की ओर बढ रहे थे तो उग्रवादियों ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के दो अधिकारियों पर गोलीबारी की । श्री राणा ने तुरन्त जवाबी कार्रवाई की परन्तु एक बार फिर श्री राणा के शस्त्र ने धोखा दिया । इस विलम्ब का लाभ उठाकर उग्रवादियों ने श्री राणा पर गोलियों की बौछार कर दी,

जिनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । श्री कावुल सिंह, कमांडेंट, ग्रामीणों को, दोनों ओर से हो रही गोलीबारी से, अलग करने के लिए तुरन्त बढ़े । श्री कावुल सिंह तब उग्रवादियों के छिपने के अड्डे के नजदीक गए और एक उग्रवादी पर गोली चलाई, जिसकी पहचान बाद में अबू विकास, आई•ई•डी विशेषज्ञ, और लश्कर-ए-तोएबा के कमांडर के रूप में की गई । इस अभियान में, लश्कर-ए-तोएबा के तीन कट्टर उग्रवादी मारे गए तथा 5 ए•के• 56 राइफलें, वायरलैस सेटें, प्रशिक्षण पर्चे और अन्य आसूचना संबंधी महत्वपूर्ण सामग्री समेत बड़ी संख्या में शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, श्री के•एस• बाजवा, कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1)(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2•11•98 से दिया जाएगा ।

वरुण मिश्रा

वरुण मिश्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

असम पुलिस

सं0 83-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, ⁄ के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

श्री आर॰एस मेहरा,
द्वितीय कमान अधिकारी
53वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री हरमीत सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
नौगांव

श्री सुलेमान खान,
लांस नायक,
53वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुधाकर सिंह,
पुलिस उपाधीक्षक,
नौगांव

श्री गुमान सिंह,
लांस नायक,
53वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बी॰एम॰ राजखोवा,
सहायक कमांडेंट,॰
9वीं बटालियन,
बहरामपुर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

छलछली पाठाकार छुक में उल्फा के एक एक्शन ग्रुप के मौजूद होने के बारे में दिनांक 20 दिसम्बर,1997 को सूचना प्राप्त होने पर असम पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना के एक संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई। पुलिस के चार दल बनाए गए - श्री आर॰एस॰ मेहरा, द्वितीय कमान अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित श्री हरमीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, पहले दल का नेतृत्व कर रहे थे दूसरे दल का नेतृत्व श्री सुधाकर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, तीसरे दल का श्री

बी.एम. राजखोवा, सहायक कमांडेंट, असम पुलिस तथा चौथे दल का नेतृत्व श्री डी. उपाध्याय, असम पुलिस और श्री अच्युतानंद, सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कर रहे थे।

श्री हरमीत सिंह के नेतृत्व वाले दल ने जब पूर्वी दिशा से 1513 बजे गांव में घुसने की कोशिश की तो उग्रवादियों द्वारा उन पर घात लगाकर अत्याधुनिक हथियारों से भारी गोलीबारी की गई। पुलिस दल द्वारा गोलीबारी का जवाब देने पर उग्रवादियों को भागना पड़ा। दक्षिण दिशा में भागते हुए उग्रवादियों के दल का सामना श्री सुधाकर सिंह के नेतृत्वाधीन पुलिस दल के साथ हुआ जिसके कारण दोनों के बीच भारी गोलीबारी होने से दो पुलिस कान्स्टेबल घायल हो गए। श्री सुधाकर सिंह, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के श्री गुमान सिंह और सुलेमान खान, लांस नायकों के पुलिस दल द्वारा की गई गोलीबारी के परिणामस्वरूप एक उग्रवादी मारा गया। इस बीच श्री हरमीत सिंह ने सभी पार्टियों से सम्पर्क साधा और श्री राजखोवा के नेतृत्व में उत्तर की ओर पीछा करना बंद कर दिया गया। वे श्री सुधाकर सिंह द्वारा उग्रवादियों का पीछा कर रही पार्टी की मदद के लिए दौड़े, परन्तु जैसे ही वे उग्रवादियों के निकट पहुंचे, तो उन्होंने राकेट लांचर से गोलीबारी कर रहे उग्रवादी को मार गिराया। उसके बाद, श्री राजखोवा के दल ने भागते हुए अन्य उग्रवादियों का पीछा किया। उनमें से एक उग्रवादी ने पीछा कर रहे पुलिस दल पर गोलियां चलाते हुए अपनी यूनिवर्सल मशीनगन की पूरी मैगजीन खाली कर दी। परन्तु श्री राजखोवा के नेतृत्वाधीन पुलिस दल ने अत्यन्त साहस का परिचय देते हुए उसे मार गिराया। श्री हरमीत सिंह ने स्थिति का जायजा लेने के बाद श्री सुधाकर सिंह को घायल कान्स्टेबल को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी और अतिरिक्त कुमुक भी मंगवा ली। इस बीच, 1630 बजे, चौथे पुलिस दल को पुनः संगठित किया गया और इस दल ने उस क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान, उग्रवादियों की गोलीबारी के शिकार हुए दो ग्रामीणों के शव मिले और उग्रवादियों के दो साथी पकड़े गए। करीब 10-12 की संख्या में अन्य उग्रवादी अंधेरे, पहाड़ी और वहां पर घने पेड़-पौधों का लाभ उठा कर बच कर भाग निकले।

उपर्युक्त मुठभेड़ में उल्फा के तीन कट्टर उग्रवादी मारे गए, उनमें से दो पकड़े गए और एक राकेट लांचर, एक जीवित राकेट, दो एक्सप्लोसिव चार्जिज, तीन प्राईमर, एक राकेट लांचर बैग, एक यू.एम.जी. (एक मैगजीन समेत), एक एच.ई.-36 ग्रेनेड और एक ए.के.-47 मैगजीन बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री आर.एस. मेहरा, द्वितीय कमान अधिकारी, सुलेमान खान, लांस नायक, गुमान सिंह, लांस नायक, हरमीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, सुधाकर सिंह, पुलिस अधीक्षक और सहायक कमांडेंट बी.एम. राजखोवा, ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1)(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20.12.97 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा

बरुण मित्रा

राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 84-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :-

अधिकारी का नाम और रैंक	उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया
श्री बिपरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल, 95 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल	बांसपाड़ा गांव में उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर 27•2•1997 को एक विशेष अभियान चलाया गया । 27•2•97 को 0300 बजे गांव को घेर लिया गया और पौ फटते ही तलाशी शुरू की गई । तलाशी के दौरान इस दल ने 4 सशस्त्र उग्रवादियों को घेरे के उस ओर भागते हुए देखा जहां श्री बिपरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ड्यूटी पर तैनात थे । उन्होंने भागते हुए सशस्त्र उग्रवादियों को देख लिया और उन्हें रूक जाने के लिए ललकारा । इस पर एक उग्रवादी ने श्री सिंह की ओर अपनी मजूल लोडिंग गन से उन पर एक शॉट फायर किया । गोली के हमले से बचने के लिए श्री सिंह एकदम नीचे झुक कर आड़ में हो गए और जवाबी कार्रवाई की । उग्रवादियों को उलझाए रखने के लिए उन्होंने अपनी कारबाईन मशीन से 12 राउण्ड गोलियां चलाई ताकि उग्रवादी बच कर भाग न सकें । अकेले श्री सिंह और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ करीब 15 मिनट तक चलती रही । उग्रवादियों ने श्री सिंह की गोली-बारी को शांत करने की भरसक कोशिश की, लेकिन सफल नहो सके । अन्ततः उग्रवादी घिर गए और उनकी बन्दूकों को शांत कर दिया गया। मुठभेड़ के फौरन बाद, उस क्षेत्र की तलाशी ली गई और दो अज्ञात उग्रवादियों के शव मिल जिन्होंने जैतूनी हरे रंग की वर्दी पहनी हुई थी जिस पर विधिवत रूप से आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स का निशान बना था और कंधे पर टाईटल लगे थे । गंभीर रूप से घायल अवस्था में एक और उग्रवादी भी पकड़ा गया जिसने मरते हुए ए•टी•टी•एफ• के विद्रोहियों की गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के बारे में एक वक्तव्य दिया । क्षेत्र की तलाशी लेने पर वहां से निम्नलिखित सामग्री भी बरामद की गई :-

(क)	देशी बंदूक	03 नग	(भरी हुई)
(ख)	पाईप गन	04 नग	
(ग)	आयरन पलेंटें	67 नग	
(घ)	.22 कैप्स	12 नग	
(ङ)	ए.टी.टी.एफ.का लैटर पैड (खाली)	01 नग	
(च)	जेलूनी हरे रंग की वर्दी	02 नग	

इस मुठभेड़ में, श्री बिपरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27.2.1997 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

सं0 85-प्रेज/99 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सशर्त प्रदान करते हैं :-

अधिकारियों का नाम और रैंक

श्री एल॰डी॰ जीना,
नायक,
77 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राधा कृष्णन,
लांसनायक,
77 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जसबीर सिंह,
कांस्टेबल,
77 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री पी॰सी॰के॰ कुट्टी,
कांस्टेबल,
77 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

29॰7॰1997 को 77 वीं बटालियन की एक कानवॉय जिसमें 3 वाहन थे, इम्फाल जिले से तमंगलांग लौट रही थी तो गांव मोरटम के निकट उस पर लगभग 15-16 सशस्त्र उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की । आगे वाली जीप पर भारी गोलीबारी की गई । जिसे श्री पी॰सी॰

कुट्टी चला रहे थे । जीप का विंडस्क्रीन टूट गया और जिसके टुकड़े इनकी आंख में जा गिरे तथा जीप का पिछला बायां टायर क्षतिग्रस्त हो गया । फिर भी, भारी गोलीबारी के बीच इन्होंने जीप चलाना जारी रखा और अन्ततः ये जीप को घात क्षेत्र की घातक रेंज से बाहर निकाल ले आए । श्री राधाकृष्णन, लांस/नायक भी आगे वाली जीप में थे जिस पर भारी गोलीबारी की गई थी । इनका बायां हाथ किरचें लगने से जख्मी हो गया था । ये एल•एम•जी• और गोलाबारूद समेत जीप से नीचे उतरे, और ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने घात लगाने वाले दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । उन्होंने अपनी एल•एम•जी• से 7•62 गोली बारूद के 102 राउण्ड फायर किए और उग्रवादियों को भागने पर मजबूर कर दिया । श्री जीना तीसरे वाहन में और उस पर भी भारी गोलीबारी की गई जिस कारण उनकी जीप का विंड स्क्रीन चूर-चूर हो गया । वह भी जीप से नीचे उतरे, मोर्चा संभाला और 2"मोर्टार के 11 उच्च शक्ति के विस्फोटक गोले उस स्थान की दिशा में दागे जहां घात लगाई गई थी और उग्रवादियों की फारमेशन को तोड़ दिया जिससे वे भाग खड़े हुए ।

कांस्टेबल जसवीर सिंह दूसरे वाहन में थे जिस पर भी उग्रवादियों द्वारा सीधे भारी गोलीबारी की गई । उनके बाएं कान के उपर सिर में किरचें लगने से घाव हो गए । फिर भी, इन्होंने घायल कार्मिकों को वाहन से उतरने में मदद की, पोजीशन ली और अपनी एस•एल•आर• से 7•62 मि•मी• गोली के 28 राउण्ड फायर किए । 20 मिनट तक चली भीषण मुठभेड़ के उपरान्त, वे उस घात को तोड़ने में सफल हुए ।

इस मुठभेड़ में, सर्व/श्री एल•डी• जीना, नायक, राधाकृष्णन, लांसनायक, जसवीर सिंह, कांस्टेबल और पी•सी•के• कुट्टी ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29•7•1997 से दिया जाएगा ।

वरुण मित्रा

वरुण मित्रा
राष्ट्रपति का उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 20th April, 1999

No.64 -Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Manik Goswami,
Sub-Inspector,
Jorhat, DEF.

Shri Bosiruddin,
Constable,
16 (IR) Bn.

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On 24.3.1998 at about 9 P.M. information regarding clandestine movements of ULFA militants were received by Supdt. Police, Jorhat. Some ULFA boys were likely to come to K.B. Road for organisational work on 25.3.1998. Accordingly after planning and briefing, a joint Assam police and CRPF party were placed in ambush at K.B. Road at 0530 hrs. At 0700 hrs two suspicious looking youth appeared on bi-cycle from P.W.D. Chariali. The Police party tried to stop the youth but they, on being challenged, entered into nearby residential building, and theereafter followed an encounter. Shri Malik Goswami S.I. and Constable Bosiruddin Ahmed chased the militants. The CRPF contingent were directed to cordon off the houses. Shri Goswami and Shri Ahmed came under heavy fire from inside the house. Shri Goswami and Shri Ahmed, without caring for, advanced towards firing militant. Shri Goswami sustained bullet injuries on his leg and Shri Ahmed received bullet injuries on his arm. Despite their injuries, they continued firing and as a result one militant was killed in the encounter. Other militant sneaked into the nearby thickly populated residential area and managed to escape. 7 number of live cartridges of ammunication, one number of empty cartridge of ammunition, 7 numbers of empty cartridges of ammunition 9 mm., 6 numbers of fired lead. one printed leaflet of ULFA Organisation and One Driving Licence of Sumanta Bora, were recovered after the action.

In this encounter S/Shri Manik Goswami, SI and Bosiruddin, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th March, 1998.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 65 -Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police:-

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Ram Prasad Meena, IPS,
Addl. SP Jorhat,
Assam.

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On receipt of specific information regarding clandestine movement of ULFA militants in and around village Thekeraguri, a joint police and CRPF party under command of Shri R.P. Meena, Additional Supdt. of Police, Jorhat carried out offensive raid cum search operations in the wee hours of 01.02.1998. The party was sub-divided in 4 small sub-parties and raid was carried out covering all the clusters of houses. When Shri Meena along with his escort raided first cluster of houses, he was fired by bullets. Instantaneously, Shri Meena advanced towards the firing militant and directed the party to cordon the houses from rear side. However, when Shri Meena was further advancing, he escaped from the bullets fired by a militant. Shri Meena Pounced on the firing militant and firing from close quarters neutralised him.

The militant was later on identified as Strong Hazarika @ Atul Gohain @ Satya Borua SS Mukhya Partichalak of Pub Mandal parishad of ULFA, Chief Organiser of militant activities in five districts of Upper Assam. The following arms/Amn. were recovered from the place of encounter:-

1. One Factory made Pistol.
2. One Empty Magazine of above Pistol.
3. One loaded Magazine 5 (five) rounds of live ammunition.

In this encounter Shri R.P. Meena, Addl. SP displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st February, 1998.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 66 -Pres/99 - The President is pleased to award the Presidents Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police:-

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Raj Kumar Singn (Posthumous)
A.S.I.

Statement of Services for which the decoration has been awarded:-

On 28.4.1997 at about 12.30 hrs., 4 criminals, armed with country made pistols barged in the premises of Bank of India in BCC Area, Panchaet in district Dhanbad and 2 of them caught hold of the security guard and tries to snatch his gun. The security guard raised alarm and the bank siren was also sounded. A.S.I., Shri Singh who happened to be there at that time in due course of security checking sprang to action. The situation was very difficult to anticipate. Without caring to his personal safety, he fought an unequal battle un-armed hoping to be the final winner. No sooner had he swooped and pounced upon the robbers, they retaliated. Thereafter Shri Singh was able to throw one of them on the ground and snatched his loaded pistol. Before, however, he could manipulate the snatched pistol, one of the criminals, in order to extricate his fallen and helpless colleague, fired at Shri Singh on his head from a point blank range. Shri Singh fell down unconscious instantaneously and subsequently breathed his last. With the following down of Shri Singh, all the criminals escaped on Motor-bikes parked on the roadside. In this gruesome incident, a shoe and a loaded .303 country made pistol were recovered and seized from the spot.

In this encounter late Shri R.K. Singh, ASI displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(1) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th April, 1997.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 67-Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Karnataka Police:-

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri T. Sathyanarayana (Posthumous)
Constable.

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On receipt information on the 17th Sept., 1997 about some communal disturbances leading to pelting of stones, setting fire to buses etc. on the Swagath Talkies Road, Shri Sathyanarayana, Police Constable on duty in Thilak Nagar Police Station rushed to the spot with a Police Sub-Inspector. On reaching there, both of them tried to prevent a Bus being set ablazee by the mob. Thereupon the Police Sub-Inspector was attacked by the mob. Shri Sathyanarayana moved to rescue his colleague and in the process charged the mob. The mob being armed with swords and other weapons, overpowered both the police personnel. The Sub-Inspector sustained some injuries and fell down unconscious. Thereafter, Shri Sathyanarayana all alone faced the mob and attempted to drive them away. Simultaneously, he also continued to protect the Sub-Inspector from being attacked by the mob. Had he left the spot, the Sub-Inspector who had fallen down would have been killed by the mob. While protecting the Sub-Inspector from the attack of the mob, Shri Sathyanarayana was attacked with swords and iron rods by the mob and sustained serious injuries to which he succumbed later in the hospital. The Police Sub-Inspector survived after treatment. Shri Sathyanarayana sacrificed his life in maintenance of the highest traditions of the service.

In this connection late Shri T. Sathyanarayana, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17th Sptember, 1997.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 68-Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police:-

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Mehtar Lal Khunte (Posthumous)
Constable,
Bihar, Bilaspur,
Madhya Pradesh

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On the night of 16th/17th May, 1996, Shri M.L. Khunte, Constable along with Shri Ratiram, Constable suspecting the movement of some unidentified persons chased them. In this process, Shri Khunte went ahead of Shri Ratiram. Shri Ratiram saw some persons hiding in a lane and challenged them to come out and identify themselves. One assailant came out with country made pistol pointing at Shri Ratiram. Shri Ratiram in the process of defending himself, hit with his cane on the person's hand, overpowered him. Meanwhile another culprit came out and fired at Constable Ratiram injuring him in the process. Shri Ratiram fell unconscious. Hearing the shouting of Shri Ratiram, Shri Khunte rushed to the spot, fought with the dacoits and overpowered both the armed persons. Meeanwhile 4-5 desperate criminals came out from the hiding and tried to free their associates but they could not get their associates out of Shri Khunte's grip. They fired two shots at Shri Khunte injuring him fatally in the chest and right side of head. Shri Khunte fell on the ground. Hearing the shots one Shri Rakesh Bagga tried to peepfrom his window and the dacoits fired at him injuring him in the eyes and escaped in the darkness. Meanwhile additional force was rushed and both the injured Constables were moved to the Health Centre where Shri khunte succumbed to his injuries.

In this encounter late Shri M.L. Khunte, Constable displaued conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16th May, 1996.

Barun Mitra

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 69-Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police:-

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Jagatram Arya (Posthumous)
Constable SAF,
Gwalior

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On 30th June, 1998, a Bus on its regular journey from Magroni to Shivpuri was halted enroute at Patighati by three dacoits. Shri Jagatram Arya, Constable, who was travelling in that Bus and was unarmed, challenged the dacoits. He rushed to the door of the Bus and locked it preventing entry of the dacoits in the bus. Simultaneously he encouraged the fear stricken passengers. In the meantime the dacoits fired at Shri Jagatram killing him on the spot. Thereafter, they looted the passngers and kidnapped two of them. Shri Jagatram made a supreme sacrifice in the maintenance of the highest traditions of the Service.

In this encounter late Shri Jagatram Arya, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30th June, 1998.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No.70-Pres/99 - The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Orissa Police:-

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Binoba Meher (Posthumouis)
Inspector.

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On 18.6.1998 while groundlevelling work was in progress near village Sindhigaon, a group anti-socials led by one Shri Narayan Reddy suddently surfaced near the bulldozer and threw a bomb aiming at Miss Chitra Arungam, I.A.S., SDM who was on duty. Apprehkending eminent danger to the life of SDM, Shri Binoba Meher, Reserve Inspector of Police, who was on duty at Sindhgaon spontaneousl rushed forward to face the anti-socials and there-by took the bomb literalliy on his body. Shri Binoba Meher sustained injury on his abdomen and fell down on the ground in a pool of blood. He was immediately shifted to hospital, Berhampur. Subsequently he was shifted to Appolo Hospital, Hyderabad for better treatment, where he was operated for the second time, but despite best efforts he succumbed to the injury on 2.7.1998. Shri Binoba Meher, showed courage of exceptional order in discharge of duty and sacrificed his life in the maintenance of the highest traditions of the service.

In this encounter late Shri Binoba Meher, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th June, 1998.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 71 -Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police:-

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri Satyendra Veer Singh
Addl. S.P. City
(West) Lucknow.

Shri Rajesh Kumar Pandey
Dy. Supdt. of Police, Circle
Officer, Qaiserbagh,
Lucknow.

Shri Ravindera Kumar Singh (Posthumously)
Sub Inspector

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

After receiving information on 9th September, 1997, in the evening about the presence of Shri Prakash Shukla, a wanted killer along with his accomplices in Janpath market, Shri Singh, Addl. S.P. along with Shri Pandey, Dy. S.P., Shri Singh, S.I. and Shri Rankendra Singh, H.C., set out to apprehend them. Reaching there, the police spotted four gangsteers standing in suspicious manner near a shop. On being asked to surrender, one of the gangsters took out an AK rifle from his bag and fired on the police party. S/Shri S.V. Singh and Pandey, Dy. S.P. promptly returned the fire and in the exchange of fire, the gangster was killed. Shri Singh chased the other fleeing criminals but was grievously injured by them. He was shifted to the hospital where he succumbed to his injuries. the killed criminal was identified as Tunna Ram and the police seized one A.K. 56 Rifle along with other live ammunition from the scene.

In this encounter S/Shri S.V. Singh, Addl. S.P., R.K. Pandey, Dy. S.P. and late Shri R.K. Singh, SI displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th September, 1997.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 72-Pres/99 - The President is pleased to award the Bar to Police Medal/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police:-

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri Vijay Kumar Gupta, Bar to Police Medal
DIG
Meerut

Shri Kripal Singh,
DSP
Meerut

Shri Vijay Kumar
Inspector,
Task Force

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On 7th August, 1998 around 23.30 hrs., Shri Gupta, DIG received a tip off about movement of Naresh Pramukh and his gang towards village Bhalsona after looting Shri Pankaj Goyal and his family. Shri Gupta immediately directed his task force and Shri Kripal Singh, DY. SP to intercept them. Anticipating their movement, Shri Gupta himself reached Bhalsona bridge to keep a watch. At about 10.30 A.M. on the 8th August, 1998 when police tried to stop miscreants, they started firing. Shri Gupta took control of the situation and warned the miscreants to surrender but in vain. In face of indiscriminate firing by the miscreants, Shri Gupta along with the force came face to face with them and advanced with controlled firing in which the dreaded Naresh Pramak was killed along with his associate namely Harender. One 303 bore Rile, one 455 bore Revolver along with the looted Zen Car, one Celluler Phone and ½ kg gold ornaments of Shri Goyal were seized from the killed criminals.

In this encounter S/Shri V.K. Gupta, DIG, Kripal Singh, DSP and Vijay Kumar, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th August, 1998.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 73-Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force:-

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Gyan Singh
Constable
6 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

06 Bn., BSF was deployed in Kukarnag of Anantang district (J&K) in counter-insurgency operations. On the 2nd Feb., 98 specific information about presence of some insurgents in village Poru was received. A special operation was launched by a coy of 06 Bn. The coy cordoned the village. Shri Gyan Singh, Constable was holding the LMG and was positioned near the house of one Mohd. Akram Lone where militants were reported to be hiding. Just as the cordon was being completed, insurgents who were hiding in the house started firing with AK Rifles. With heavy volume of firing from the insurgents, the position of Shri Gyan Singh was vulnerable and when he was in the process of finding a suitable cover to position himself with his LMG, a grenade landed just in front of him. Other members of the cordon party were to his right and left. Shri Gyan Singh stood up and picked up the grenade and threw it back towards the house from where the insurgents were firing. Though he was now a clear target, the insurgents fire luckily did not hit him. The grenade thrown by Shri Gyan Singh exploded as soon as it landed back near the house. By this time, Shri Gyan Singh had taken lying position and the splinters from the grenade did not injure him. By his split second reaction, he saved his life and the lives of his colleagues who were to his right and left side. By now he was able to move to a secure place and taking position, he fired from the LMG through the window of the house from where the firing was coming. The cordon had by now closed and by effective firing from his LMG, Shri Gyan Singh was able to kill one militant who was later on identified as a dreaded hard core militant of Hizbul Mujahideen.

The recoveries made included 1 AK 56 Rifle with grenade launcher, 4 AK 56 Magazines, 90 Rounds AK Amn, 10 Catridge AK EFC. 1 Transreceiver Set, 1 Radio and Indian Currency with Rs.710/-.

In this encounter Shri Gyan Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd February, 1998.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 74-Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force:-

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri P.S. Chahal,
Commandant,
48 Bn., BSF

Shri Vimal Mohan,
Commandant,
94 Bn., BSF

Shri Vikram Kanwar,
Assistant Commandant,
48 Bn., BSF

Shri Jaipal Singh,
Head Constable,
48 Bn., BSF

Shri Ved Prakash,
Constable,
48 Bn., BSF

Shri Bharat Bhushan,
Constable,
126 Bn., BSF

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

48 Bn. BSF was deployed in the Sakidafal-Shoura axis of Srinagar City. Task was to prevent infiltration of militants coming in from Anchar lake and also to dominate the Sakidafal-Shoura axis and prevent shelter to militants in the villages on this axis. On 18.8.1997 information was received in the Coy

HQrs that a group of Pak militants had taken shelter in Theeru village. The operaion was planned and Shri Vikram Kanwar, AC proceeded to Theeru village and started laying a cordon around the village. Movement of troops was, however, spotted and heavy firing came upon the troops. Shri Ved Prakash Constable, got a bullet injury below the left ribs. The cordon party returned fire coming from two militants taking shelter in houses to prevent the cordon from advancing and tightening the gap. Shri P.S. Chahal, Comdt and Shri B.N. Kabu, DIG along with Comdt. 94 Bn. BSF, Shri Vimal Mohan and one Coy reached the place of occurrence. It was confirmed after sometime that insurgents had taken shelter in a cowhed. This cowshed had concrete walls having small windows on the North and West and a door on the Eastern side. Shri Kabu and Shri Chahal, after studying the ground situation brought an armoured vehicle to cover the front door thus effectively sealing the chances of the insurgents escaping through the front. Positioning LMG's around the building taking cover of wooden logs that had been stacked on two sides, Shri Chahal was able to fire grenades through the windows of house using his rifle. One insurgents who was in the cowshed managed to come out by crawling behind a log stack and was about to slip the cordon, was spotted by Shri Chahal, Shri Vimal Mohan, Comdt and CT Bharat Bhushan, fired simultaneously and killed the insurgents. Firing continued to come from inside the cowshed and it was finally decided to storm the building. Shri Vimal Mohan positioned two GF rifles beside an armoured vehicle was guarding the front door of the cow shed. He ordered to fire two grenades after ensuring that all cordon personnel were safe. Two grenades directly fired on the door which was blown inside . Promptly four more grenades were lobbed into the cowshed. By this time, night had descended and though no firing was coming from the cowshked, it was decided not to storm it. Next morning an assault party entered the cowshed and found no-one inside. They found that trenches had been dug in which militants had been hiding which probably saved them from the effect of the grenades. The militants had managed to crawl out under the darkness and slipped into the paddy fields. While the party was combing the paddy fields, a militant managed to lob a grenade and fired on the troops, a volley of firing killed this militant and the operation came to an end. The recoveries made included two AK-47, 7 Mag of AK-47, 119 Amn of AK series, 2 Hand Grenade, 1 Bayonet with scabbard, 1 Cleaning Kit, 1 Oil Bottle, 1 Mag pouch, 1 Water proof jacket and 1 small Transistor.

In this encounter S/Shri P.S. Chahal, Comdt, Vimal Mohan, Comdt., Vikram Kanwar, Asstt. Comdt., Jaipal Singh, HC, Ved Prakash, Const. and Bharat Bhushan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th August, 1997.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

President's Police Medal/

No. 75-Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force:-

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri Sonaullah Ganai Head Constable 52 Bn. BSF.	(Posthumous)	PPM for Gallantry
Shri Surjeet Singh Constable 52 Bn., BSF.	Posthumous	PM for Gallantry
Shri Gugan Ram Head Constable 52 Bn., BSF		PM for Gallantry

Statement of services for which thee decoration has been awarded:-

52 Bn. BSF was deployed in Ganderbal area. On 3rd Jan, 1998 information was received about presence of militants in a small cave near village Baba Saleih Rishi towards the west of Ganderbal leading towards Bandipur. A patrol of 1 SO and 15 Ors was detailed in the area to search for this cave which had not been located by the unit during earlier recess. A second party consisting of 1 SO and 7 Ors were sent in a different direction to approach the same area from the North. Not knowing the location of the cave, the party tactically moved by taking cover of trees. In the second party HC Sonaullah Ganai was acting as a scout followed by Surjeet Singh. The terrain was hilly with trees and undergrowth. Turning round a corner, Shri Sonaullah Ganai was confronted by a burst of fire. One of the bullets hit on Sonaullah Ganai before he could take over. Though he was seriously injured, he cautioned the patrol and asked them to take cover. Despite injury, Shri Sonaullah was able to move 15 mtrs taking cover from trees and noticed a break in the hillside which was probably a cave in which the militants were hiding. Hearing the suspected movement, the insurgents opened fire in his direction revealing their presence. Shri Sonaullah promptly fired back and shot one militant but he was hit by 2 more bullets. Seeing

Shri Sonaullah Ganai grievously injured, Shri Surjeet Singh rushed to him exposing himself and tried to drag his body behind cover. While doing so he was also hit by a burst of fire from insurgents, fell down and succumbed to his injuries. Meanwhile the second party reached the area and HC Gugan Ram moved forward and covered the cave from a different direction. Not knowing that this party had come up, militants tried to come and slip out. Shri Gugan Ram, HC seeing insurgents moving, opened fire and killed both of them. Shri Bhupinder Singh, Ct. who was firing alongwith him was hit in the process. By now the cave had been covered from two sides and there was heavy exchange of firing between the two parties. In the process two more insurgents were killed. When the firing died down, the party entered the cave and found two more dead bodies and recovered 1 AK-47, 1 AK-56, 1 Grenade, 3 Rifle Grenades and a large quantity of ammunition.

In this encounter S/Shri Sonaullah Ganai, HC, Surjeet Singh Const and Gugan Ram, HC displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd January, 1998.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

President's Police Medal/

No.76 -Pres/99 - The President is pleased to award the/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force:-

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri Rishipal Singh (Posthumous) PPM for Gallantry
Sub Inspector,
58 Bn., BSF.

Shri Rakesh Kumar PM for Gallantry
L/Naik,
58 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On 19.12.1997 at about 1110 hrs., Shri Rishipal Singh, SI learnt that a group of 5 insurgents was seen moving in Village Banna. Shri Singh with a party of 14 others immediately went towards the village. Meanwhile his Commandant who had been informed, dispatched three other parties to lay stops around village Bhanna. In the village, Shri Singh's party saw movement of insurgents who took position behind the rocks and opened fire on the Police Party. Meanwhile Shri Singh took position. Shri Rakesh Kumar saw the movement of one militant behind the rocks and fired on him killing him then and there. However, Shri Kumar while advancing was hit and grievously injured. Shri Singh despite firing by the militants managed to reach near Shri Kumar and dragged him. While doing so he was hit by a bullet in his stomach. He however, managed to fire back and killed one more militant. Exchange of fire continued till militants retreated taking cover of the hillside. Shri Rishipal Singh succumbed to his injuries before evacuation.

During search of the area dead bodies of 2 insurgents, 2 AK-47 Rifles with magazines, one Chinese pistol with Magazines and two Russian hand grenades were recovered along with one binocular.

In this encounter late Shri Rishipal Singh, SI and Rakesh Kumar, L/Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th Decembmer, 1997.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 77-Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force:-

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri N. Selva Raj
Constable,
68 Bn., CRPF

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

One platoon of D Coy 68 Bn. CRPF under command of Shri Shreepal, Head Constable was detailed on 1.12.1997 for operation on the requisition of OC Bongaigoan (Assam) Police Station. The Platoon was deployed to carry out the search and screening under the supervision of Shri Saikia of Police Station Bongaigaon in the outer area of Bongaigaon town. While carrying out the search in the above area, at about 1330 hours one armed person was seen moving stealthily, and on being challenged by the search party, he opened fire while trying to escape. Shri Selva Raj who was a member of search party, chased the militant without caring for his personal safety despite firing by the militant. In the process of chase, he fired with his AK-47 Rifle which killed the militant. The killed militant was later identified as Kanak Kishore Rai of ULFA armed cadre. One Chinese M-20 pistol with 5 rds. of live 12 ammn, one AK-56 Rifle with 3 Magazine and 67 rds of live ammn and one.32 Belgium pistol with two live rounds were recovered from the killed militant.

In this encounter Shri N. Selva Raj, Const. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st December, 1997.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 78 -Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force:-

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri J.R. Laskar,
Lance Naik,
5th Bn., CRPF.

Shri A. Chaudhary,
Lance Naik,
5th Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On receipt of information abmout the hide out of the militants at about 0430 hrs on the 4th July, 1997, one platoon under the command of Shri Ram Singh, Sub Inspector along with J&K Police rushed towards it. On reaching there, the Police Party learnt that the militant, Gulzar Khan alias Sameer Khan was hiding in a house in Village "Wooder". After cordoning the area, the militant was asked to surrender by the Police Party but in return the militant fired on the Police Party. The militant lobbed hand grenades towards the troops. This was retaliated by the Police Party and the exchange of fire continued for about an hour. Thereafter, the militant with an intention to break cordon and run away, jumped out from the house and hid himself behind a tree. S/Shri A. Chaudhary and J.R. Laskar, Lance Naiks moved towards the hide out of the militant under the cover of fire on the platoon. S/Shri Chaudhary and Laskar fired at the militant and managd to shoot at the militant in his leg. The militant tried to move to other advantageous position while continuing firing on the Police Party. S/Shri Chaudhary and Laskar by their firing made the run of the militant ineffective thereupon, the militant started lobbing grenades. The firing by Shri Chaudhary resulted in the Killing of the militant on the spot. The Militant was later identified as the Chief Commander of Hizbul Muzahiddin, top militant outfit and was responsibmle for many killings/crimes. The recoveries made including one AK-56 Rifle with grenade launcher, four AK-56 Magazine, Fifteen AK-56 rounds, one Grenade, four Improvised explosive devices and one Binocular.

In this encounter S/Shri J.R. Laskar, Lance Naik, and A. Chaudhary, Lance Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th July, 1997.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 79-Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force:-

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Anand Singh,
Assistant Commandant,
5 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On receipt of a specific information on 21.10.1997 regarding presence of some hard core militants in village-Chakyangoora Shri Anand Singh, A.C, rushed to the village with two platoons and 3 J&K STF personnel. The party reached the village and cordoned the area. The hiding miltants were challenged by Shri Singh to surrender but they did not heed to it and suddenly opened fire upon the cordon party. As the militants were hiding themselves in the Mosque, the troops could not open fire on them. From the fire of the militants and on further inquiriy from the villagers it was revealed that there was only one militant present in the mosque. Shri Singh prepared a plan to force the militant to come out of mosque building. Shri Singh moved from his covered position through a nearby shallow nallah to the gate of the mosque. He also ordered his two escort personnel to give him covering fire to confuse the militant and save the mosque building from any damage. Thereafter Shri Singh fired two tear smokes shells in the hamam and fell down quicklyi in the nallah. The hiding militant opened fire upon Shri Singh when he fired the second tear smokes shell. But he was saved because he fell down quicklyi in the nallah.

Due to tear smoke, the militant could not stay in the mosque and came out of it firing from his AK rifles at random on the cordon party. The cordon was laid ink such a way that all the force personnel took proper cover. The militant tried to run away in fields but when Shri Singh again challenged him to stop, the militant did not listen to it and fired upon Shri Singh. Shri Singh also quickly fired some rounds with his AK rifle aiming at the militant injuring him with the bullets. Despite the injuiry, the hard core militant still tried to cause damage to the force personnel and took shelter in a nearby ditch and started firing upon the force personnel.

Meanwhile Shri Singh and Party retaliated the fire and engaged the militant to remain in the ditch. Analysing the prevailing situation, Shri Singh ordered to fire one rifle grenade aiming the militant in the ditch. After the blast of grenade, the Force personnel noticed that there was no movement from the militants side. Shri Singh then moved towards the ditch where militant was hiding and saw that the militant was dead. Later on the killed militant was identified as Farooq Ahmed Wani @ Farooq Maj,or @ Fighter of banned out fit Hazib-ul-Muzahidin. One AK Rifle, two AK Magazine and 17 Rds. of AK 47 were recovered from the spot.

In this encounter Shri Anand Singh, A.C. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st October, 1997.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 80-Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force:-

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri Rama Shankar Rai,
Dy. Comdt.,
133 Bn., CRPF.

Shri Onkar Singh,
Lance Naik,
133, Bn., CRPF

Shri Ajit Kumar Singh,
Constable,
133 Bn., CRPF.

Statement of services for whichi the decoration has been awarded:-

On 2.6.1998, two platoons of CRPF were deputed with civil police party for conducting an operation against the extremists in Jahanabad. These Platoons under the command of Shri R.S. Rai reached the village and cordoned the area. The extremists were hiding in a house. However, before taking cover of the area, the extremists started firing from the house where they were hiding and as well as from the top of the house. In retaliation police personnel advanced towards the house and captured it. Thereafter the extremists stopped firing. S/Shri Rai and Singh moved towards hideout of extremists and threw grenade on the extremists. Thereafter, the police cordon party opened the house and killed 9 extremists on the spot.

One SLR (with two Mags), 1 9mm Carbine with Mag, 1 Mouger Regular Fifle, 1 315 Regular Rifle with Mag, 1 303 Mark IV Rifle with Mag, 1 303 3 Rd. Rifle with Mag, 2 DBBL guns, 1 DBBL gun Goms and 1 local made Pistol were recovered from the site.

In this encounter S/Shri R.S. Rai, Dy. Comdt, Onkar Singh, Lance Naik and A.K. Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd June, 1998.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No.81-Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Indo Tibetan Border Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Jai Kishan
Constable
19 Bn. ITBP

Shri Ajit Singh
Constable (Gardener)
19 Bn. ITBP

Shri Parminder Singh
Constable (GD)
23 Bn. ITBP

Statement of services for which the decoration has been awarded:

19th Bn. ITBP, deployed in Distt. Anantnag in the Pir Panjal Ranges (J&K), on 3.8.98 on receipt of intelligence about the presence of militants in Cheerwar, Magrah Bahik and Garol areas, organised an operation code named " Jagrata" to neutralise their hideouts. Troops deployed for the operation were divided into three groups; one commanded by Dy. Comdt. S.K.Sharma, second headed by Asst. Comdt. Nirbhai Singh and the third, which was to function as reinforcement, was commanded by Comdt. Kabul Singh himself. The Parties under the command of Shri S.K. Sharma and Shri Nirbhai Singh were assigned the task to com/search the area, and converge in area Heara Ahlan. When the above parties were combing/searching Cheerwar. Carol, Magray Baihk, Yichhu, Buna Ahlan area, a group of militants, who were hiding in the area, moved ahead in a bid to escape to Kapran Valley. 24th Bn., ITBP was also deployed in the area of Gamdurdund to trap the militants in case they crossed over from Kapran Valley to Ahlan Nar along with 'Stop' party of 23rd Bn., ITBP under the command of Shri Bhagwan Singh, AC. When the group of militants was on the move to cross over to Kapran in a bid to escape the dragnet, Manzoor Ahmad Malik, leader of the militant group contacted his counter parts in Kapran Valley on wireless set and directed his group to move back so that he was trapped. When the militants were moving back, they came into contact with the stop party of B Coy of 23rd Bn. At about 1115 hrs followed an exchange of fire. In the meantime, parties under the command of Shri S.K. Sharma, DC, and Shri Nirbhai Singh, AC, reached the

encounter site. Shri Nirbhai Singh's party laid a close cordon and returned the fire. Comdt. 19th Bn sent Shri S.K. Sharma, DC, with 1 SO and 8 Ors to neutralise the militants from the right flank from where indiscriminate and heavy firing was coming. In the meantime, Shri Jai Kishan, Constable, taking great personal risk moved to the militants' position and fired on them which resulted in the killing of one dreaded militant leader of H.M. outfit later identified as Gulam Hassan Quasim Hai, R/O Shahbad Naugam, Distt. Anantnag. As the militant group was moving back to cross over to Pshbagh area, it was surrounded by the 'B' Coy of 23rd Bn. Party deployed as a stop at spot height-2621. Shri Parminder Singh, Constable, 23rd Bn., moved towards the militants and gunned down one militant namely Gulam Nabi Bhatt, alias Janbaj of the Dooru, Distt. Anantnag. The Commandant also directed AC Nirbhai Singh and his party to move tactically from right central approach to nuetralise the position of other militants from where indiscriminate heavy fire was coming. Shri Ajit Singh, Constable, moved towards the hideout of militants' and hurled grenades on them. As a result one militant, namely Sayed Gulzar Ahmed alias Muntzir of The Dooru, Distt. Anantnag, was killed, and one injured militant namely Manzoor Ahmad Malik surrendered. Recoveries made during action included 1 AK-47 Rifle, 2 AK-56 Rifles, 75 Rds. AK-56 Amn., 6 Magazines, 1./7.5" Dagger/knife and 1 Wireless set in damaged condition.

In this encounter S/Shri Jai Kishan, Const. Ajit Singh, Const. And Parminder Singh, Const. Displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a higher order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3.8.1998.

BARUN MITRA
DEPUTY SECRETARY TO THE PRESIDENT

President's

No. 82-Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Indo Tibetan Border Police:-

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Kabul Singh Bajwa,
Commandant,
19th Bn., ITBP

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

A specific information was received by Shri Kabul Singh, Commandant about the presence of some hard core foreign militants in village Chirwar. Accordingly a combing operation was planned. On November 2, 1998, while the troops were closing, suspicuous movement was observed in a house by Shri rana who was leading his Coy in this operation. Shri Rana, immediately conveyed the message on wireless to his Comdt. and on his instructions, Shri Rana called out the men and women of the house for a search of the house. This call was not responded, therefore Kabul Singh himself entered the house and was met by a volley of bullets from sophisticated weapons fired at both Shri Rana and his Coy and an encounter ensued. Shri Rana saw a movement of militants and immediately returned the fire killing two dreaded militants. While aiming at another advancing militant, the weapon of Shri Rana developed a malfunction and he in turn received a bullet injury in his neck. Shri Kabul Singh who was nearby ordered a close in to prevent the militants from leaving the area to a safer place. Shri Kabul Singh while advancing towards Shri Rana, was noticed by the militants who fired at the two ITBP officers. Shri Rana immediately launched a counter attack but unfortunately the weapon of Shri Rana again misfired. In this delay the militants opened a volley of fire on Shri Rana who died instantly on the spot. Shri Kabul Singh, Commandant immediately moved to isolate the villagers from cross firing. Shri Kabul Singh then moved near to the militants hide out and fired at a militant identified later as Abu Vikas, an IED expeert, and Commander of Lasker-e-Toiba. In this operation, three hard core militants of Lasker-e-Toiba were killed and a large quantity of arms & ammunition including 5 AK rifles, wireless sets, training precis and other intelligence valued material were recovered.

In this encounter Shri K.S. Bajwa, Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd November, 1998.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 83 -Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force:-

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri R.S. Mehra, Second-in-Command, 53 Bn., CRPF	Shri Harmeet Singh, Supdt. of Police Nagaon.
Shri Suleman Khan, Lance Naik, 53 Bn., CRPF	Shri Sudhakar Singh, Dy. Supdt. of Police, Nagaon.
Shri Guman Singh, Lance Naik, 53 Bn., CRPF	Shri B.M. Rajkhowa, Asstt. Comdt., 9th Bn., Borhampur.

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On receipt of information on the 20th December, 1997 about the presence of an Action Group of ULFA in Chalchali Pathakar Chuk, a joint operation of the Assam Police, CRPF and Army was planned. Four police parties were formed - the first party was headed by Shri Harmeet Singh, S.P. along with Shri R.S. Mehra Second-In-Command CRPF; the second party headed by Shri Sudhakar Singh, Dy. S.P.; the third party was led by Shri B.M. Rajkhowa, Asst. Comdt., Assam Police and the Fourth party led by Shri D. Upadhyai of Assam Police and Shri Achuitanand, Asstt. Comdt., CRPF.

While the first party led by Shri Harmeet Singh tried to enter the village from the east at about 1513 hrs., they ambushed by the Ultras and were heavily fired withk sophisticated weapons. This fire was retaliated by the Police Party making the Ultras to flee. The group of Ultras running towards southern side came face to face with the party led by Shri Sudhakar Singh leading to heavy exchange of fire injuring two police Constables. The fire by the police party including

Shri Sudhakar Singh, Shri Guman Singh and Suleman Khan, L/Naiks of CRPF resulted in the killing one Ultra. In the mean time Shri Harmeet Singh contacted all the parties and closed the chase on the northern side led by Shri Rajkhowa. They rushed to reinforce the party by Shri Sudhakar Singh chasing the Ultras just as the reinforcement closed on the Ultras, the militant firing Rocket Launcher was shot dead. Thereafter the other fleeing Ultras were chased by the party of Shri Rajkhowa. One of the Ultras emptied the entire Magazine of Universal Machine Gun on the party chasing him but party led by Shri Rajkhowa showing high degree of courage shot him dead. Shri Harmeet Singh after taking stock of the position deputed Shri Sudhakar Singh to evacuate the injured Constable to hospital and also summoned additional reinforcement. Meanwhile, realignment of the fouorth party was done at 1630 hrs and this partyi started combing operation in the area. During search two dead bodies of the villagers killed by the firing of Ultras were found and two of the associates of Ultras were apprehended. The other militants numbering about 10 to 12 managed to escape taking advantage of the darkness hills and the dense vegetation thereof.

In the above encounter, three hardcore ULFA Militants were killed, two of their associates apprehended and one Rocket Launcher, one Live Rocket, two Explosive Charges, three Primers, one Rocket Launcher Bag, one UMG (with drum magazine), one HE-36 Grenade and one AK-47 Magazine were recovered.

In this encounter S/Shri R.S. Mehra, 2 I/C, Suleman Khan, Guman Singh, Lance Naiks, Harmeet Singh, S.P., Sudhakar Singh, Dy. S.P. and B.M. Rajkhowa, Asstt. Comdt. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th December, 1997.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No.84 -Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force:-

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Biprendra Singh,
Constable,
95 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On receipt of information regarding presence of insurgents in village Wansapara, a special operation was conducted on 27.2.1997. The village was cordoned at 0300 hrs on 27.2.1997 and search conducted at first light. During the search, the BSF party observed 4 armed extremists running on the cordon area where Shri Biprendra Singh, Constable was on duty. He observed the fleeing armed extremists and challenged them to stop. On being challenged, one of the extremists fired a shot from his muzzle loading gun towards Shri Singh. Shri Singh ducked behind cover to avert injury and retaliated. He fired 12 rounds from his Carbine Machine to engage the extremists to precent their escape. The encounter continued from about 15 minutes between the extremists and Shri Singh onlyi and the extremists tried their best to silence the gun of Shri Singh but no avail. the extremists were ultimately trapped and finally their guns weere silenced. Soon after the encounter, the area was searched where two dead bodies of unidentified extremists wearing OG coloured uniform duly embossed All Tripura Tiger Force insignia and title shoulders were found. One more extremist was also caught in critically injured state who gave a dying statement about their involvement in the insurgent activities with ATTF. On search of the area, the following were also recovered:-

(a)	Country-made guns	-	03 Nos. (loaded)
(b)	Pipe Guns	-	04 Nos.
(c)	Iron Plates	-	67 Nos.
(d)	.22 Caps	-	12 Nos.
(e)	Letter pad of ATTF(blank)	-	01 No.
(f)	OG coloured uniform	-	02 Nos.

In this encounter Shri Bipendra Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th February, 1997.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

No. 85-Pres/99 - The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force:-

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri L.D. Jeena,
Naik,
77 Bn., CRPF.

Shri Radha Krishnan,
Lance Naik,
77 Bn., CRPF.

Shri Jasveer Singh,
Constable,
77 Bn., CRPF

Shri P.C.K. Kutty,
Constable.
77 Bn., CRPF

Statement of services for which the decoration has been awarded:-

On 29.7.1997 when a convoy of 77 Bn., consisting of 3 vehicles was on its return journey from Distt. Imphal to Tamanglong, a group of about 15-16 armed extremists suddenly opened fire by using automatic weapons near village Moltem. Shri P.C. Kutty was driving the front jeep which came under heavy fire. The wind screen of the vehicle was shattered due to which pieces of the glass fell ink his eiye and the rear left tiyre of the jeep was damaged. Yet he continued to drive under heavy rain of bullets and finally managed to cross the killing range of the ambuish layout, Shri Radhakrishnan, Lance Naik was in the front jeep which came under heavy fire and received splinter injiuries on his left hand. He got down from the vehicle with LMG and ammunition, climbed and started firing towards the ambush party. He fired 102 rounds of 7.72 ammunition with the LMG and pinned down the extremists and forced them to flee. Shri Jeena, was in the third vehicle which also came under heavy shower of bullets due to which wind screen of the vehicle was shattered. He got down from the vehicle and took position and fired 11 H.E. bombs of 2" Morter in the direction of ambuish party and broke down the formation and made the extremists to run away. Shri Jasveer Singh, Constable was in the 2nd vehicle which came under heavy direct fire of the extremists. He received a splinter injuiry on his

left side head above the ear. Yet he helped the injured personnel to get down the vehicle and took position and fired 28 rounds of 7.62 mm bullets from his SLR. After a fierce encounter which lasted for about 20 minutes, they succeeded in breaking the ambush.

In this encounter S/Shri L.D. Jeena, Naik, Radha Krishnan, Lance Naik, Jasveer Singh, Constable and P.C.K. Kutty, constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

53 This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th July, 1997.

Barun Mitra
Deputy Secretary to the President

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1999.